न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर कानपुर देहात।

परिवाद सं०–789/2019

भूपनारायण बनाम राज कुमार।

दिनांक 01/12/2021

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादी मुकदमा भूप नारायण द्वारा विपक्षी राज कुमार के विरुद्ध धारा 138 एन०आई० एक्ट के तहत परिवाद पत्र संस्थित किया गया है तथा याचना की गयी है कि उक्त को तलब कर दण्डित किया जाए।

संक्षेप में परिवाद पत्र के कथन इस प्रकार हैं कि परिवादी अल्लापुर रोड पुखरायां स्थित दुकान में परचून की दुकान चलाता है जहां पर कई वर्ष पहले से विपक्षी का आना जाना था तथा परिवादी व विपक्षी का परिचय प्रगाड़ हो गया था तथा विपक्षी अक्सर परिवादी की दुकान पर आता जाता था जिससे परिवादी विपक्षी पर विश्वास करने लगा। दिनांक 8 दिसम्बर 2017 को विपक्षी परिवादी की दुकान पर आया और परिवादी से विपक्षी ने 50,000 रूपया उधार मांगा इस पर परिवादी ने विपक्षी को उक्त 50,000 रू0 नकद दे दिया विपक्षी ने कहा डेढ साल बाद उधार धन वापिस कर देंगे। परिवादी ने विपक्षी से माह मई 2019 में उधार रूपया विपक्षी से मांगा तो विपक्षी ने कहा कुछ दिन रूक जाओं रूपया दे देंगे। परिवादी द्वारा बार बार आग्रह करने पर विपक्षी ने अपने खाता स० 50100161918920 एच 0 डी० एफ० सी० बैंक शाखा माती रोड अकबरपुर (नीयर E.C.H हास्पिटल अकबरपुर) जिला कानपुर देहात की एक चेक सं० 000141 कीमती पच्चास हजार रूपये दिनांकित 31–07–2019 की काट कर दी थी। परिवादी ने उक्त प्रश्नगत चेक को उसकी विधि मान्य अवधि तीन माह के भीतर अपने खाता सं 0 51670100001678 बडौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा पुखरायां थाना भोगनीपुर जिला कानपुर देहात में अहरण हेतु दि० 30–08–2019 को प्रस्तुत की थी। प्रश्नगत चेक परिवादी के बैंक द्वारा दिनांक 23–09–2019 को इस आख्या के साथ प्राप्त हुई कि "खाता में पर्याप्त धनराशि नही है जिसके कारण प्रश्नगत चेक अनादरित हो गयी।ने विपक्षी से प्रश्नगत चेक के अनादरित होने की भौखिक सूचना भी दी परन्तु विपक्षी ने चेक पर अंकित धनराशि का संदाय नहीं किया। विपक्षी ने परिवादी को चेक काट कर देने के बाद जान बूझ परिवादी धोखा देने के आश्य से आपने खाता में पर्याप्त धनराशि नहीं रखा ताकि धन का भुगतान न हो सके। चेक के अनादृत होने के पश्चात परिवादी/ शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह सचान एड० से लिखित मांग नोटिस दिनांकित 14–10–2019 द्वारा प्रश्नगत चेक की राशि के भुगतान करने के लिए अभियुक्त से मांग की गयी। अभियुक्त द्वारा मांग नोटिस की प्राप्ति की निर्धारित समयवधि के 15 दिनों के भीतर परिवादी को प्रश्नगत चेक की राशि मय खर्च अदा करने में असफल रहा है। विपक्षी द्वारा जारी प्रश्नगत चेक अनादरित हो जाने के कारण विपक्षी के विरूद्ध धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम (एन० आइ एक्ट) का अपराध प्रथम दृष्ट्या बनता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी ने धारा 200 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अपना साक्ष्य शपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य

के रूप में मूल चेक सं०–000141, रिटर्न मेमो दिनाँकित 23/09/2019 की मूलप्रति, जमा पर्ची की मूल प्रति, लीगल नोटिस दिनाँकित–14/10/2019 की छायाप्रति, डाक रसीद दिनाँकित–14/10.2019 की मूलप्रति तथा स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है।

परिवाद पत्र में किये गये अभिकथनों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र तथा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य प्रलेखों, मूल चेक, रिर्टन मेमो, लीगल नोटिस जो विधिक रूप से समय सीमा के अन्दर दिये गये हैं, के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विपक्षी को धारा 138 एन.आई.एक्ट के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विपक्षी राज कुमार को धारा 138 एन.आई एक्ट विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब हो। पैरवी उपरान्त विपक्षी के विरुद्ध सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी विपक्षी दि० –17/01/2022 को पेश हो।

कृपा शंकर
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात
ID NO.UP02625